न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 15/2016

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर	बनाम	1. नन्दकिशोर पुत्र मिश्रीमल जाति महेश्वरी निवासी बायतु जिला बाड़मेर (फर्म का प्रोप्राईटर) 2. मिश्रीमल पुत्र रामचन्द निवासी बायतु जिला बाड़मेर (फर्म मोहनलाल नन्दलाल बायतु का मैनेजर) 3. रेवन्तराम जोशी पुत्र रामनारायण जोशी निवासी 172 हिम्मतसर नौखा बीकानेर (फर्म मै. नेशनल फूड प्रोडेक्ट का प्रोप्राइटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कपिल चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 3 एक तरफा।

निर्णय दिनांक 31.5.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.3.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दौरान् गश्त मै. मोहनलाल नन्दलाल बायतु जिला बाड़मेर शाम 4.00 बजे पहुंचने पर में दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम नन्द किशोर पुत्र मिश्रीमल जाति महेश्वरी निवासी बायतु बताया। दुकान का निरीक्षण करने के दौरान् दुकान में अन्य किराणा खाद्य सामग्री के साथ घी ब्राण्ड श्रीनाथ (एक लीटर पैकिंग) 266 पैकेटो में, घी ब्राण्ड शक्ति 15 कि.ग्रा. के 14 टीन, घी ब्राण्ड शक्ति आधा लीटर पैकिंग के 99 पीस, घी ब्राण्ड शक्ति एक लीटर के 90 पीस, घी ब्राण्ड डेयरी लाइफ एक लीटर के 236 पीस, घी ब्राण्ड डेयरी प्योर एक लीटर के 26 पीस एवं घी ब्राण्ड डोडला 5 लीटर पैकिंग के चार जारो में रखा हुआ पाया गया। घी ब्राण्ड श्रीनाथ (एक लीटर पैकिंग) 266 पैकेटो में भरा हुआ था, में मिलावट का

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्य क्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.465 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थी सख्या 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं0 03 एक तरफा। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ''न्याय आपके द्वार'' के तहत राजस्व कोर्ट केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई। अप्रार्थी सख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाने का निवेदन किया।

3. हमने प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर की बहस सुनी। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 16.3.2015 को मैसर्स मोहनलाल नन्दलाल बायतु जिला बाड़मेर की दुकान निरीक्षण करने के दौरान् दुकान में घी श्रीनाथ ब्राण्ड 266 पैकेटो में पाया गया। उक्त घी श्रीनाथ ब्राण्ड में मिलावट का संदेह होने पर घी का नियमानुसार नमूना लिया गया। जॉच के दौरान घी श्रीनाथ ब्राण्ड का नमूना पी.465 अवमानक (Sub-standerd) स्तर का पाया, जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. हमने सहायक लोक अभियोजक प्रथम की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/220/एक्ट/2015/220 दिनांक 25.3.2015 एवं रेफरेल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 474/Jul/15-RAJ के अनुसार अप्रार्थीगण अभियुक्त द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ घी श्रीनाथ ब्राण्ड का सेंपल पी.465 जॉच रिपोर्ट में अवमानक (Sub-standerd) पाया गया है जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अभियुक्त नन्दकिशोर, मिश्रीमल व रेवन्तराम जोशी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

संदेह होने पर रूपये 1560/–नकद देकर 500–500 एमएल (जार) के कुल 04 जार खरीदे। खरीद गये 04 जारो पर नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर लेबल चिपकाये गये। जिस पर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर कराये गये। प्रत्येक नमूने को मौटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप पी.465 चिपकाकर मजबूत व मोटे धागे से बांधकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहो के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक का पता अंकित किया गया। गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपथिति में मौका फर्द तैयार की गयी। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.465 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ घी श्रीनाथ ब्राण्ड का नमूना पी.465 की जॉच रिपोर्ट एलएस/220/एक्ट/2015/220 दिनांक 25.3.2015 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी श्रीनाथ ब्राण्ड का नमूना अवमानक (Sub-standerd) स्तर का होना पाया गया। जिसकी मैसर्स मोहनलाल नन्दलाल बायतु द्वारा अपील किये जाने पर, अपील स्वीकार करते हुए घी श्रीनाथ ब्राण्ड का द्वितीय नमूना जांच हेतु रेफरल खाद्य लेबोरेटरी गाजियाबाद को भेजा गया। रेफरल खाद्य लेबोरेटरी गाजियाबाद से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 474/Jul/15-RAJ अनुसार घी श्रीनाथ ब्राण्ड का नमूना अवमानक (Sub-standerd) पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ घी श्रीनाथ ब्राण्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत पाये गये अवमानक (Sub-standerd) पदार्थ बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (Sub-standerd) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 तहत अभियुक्त अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रत्येक पर रूपये पांच–पांच हजार मात्र एवं अप्रार्थी संख्या 03 पर पच्चीस हजार रूपये मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 31.5.2017 के एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर